L. A. BILL No. XXI OF 2021

A BILL

further to amend the Maharashtra Municipal Corporation Act.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २१ सन् २०२१।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम मे अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९४९ का ५९।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, ३० सितम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक ४।

(शा.म.मु.) एचबी १५२९—१ (५०–१२-२०२१)

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह ३० सितम्बर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९४९ का ५९ की धारा ५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ५ की, उप-धारा (३) के, प्रथम परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

" परंतु, निगम के आम निर्वाचनों के संबंध में, महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण के पश्चात्, प्रत्येक प्रभाग, चार पार्षदों का परंतु तीन से कम न हों तथा पाँच से अधिक न हो होगा, यथासंभव शीघ्र पार्षद निर्वाचित करेगा और प्रत्येक मतदाता, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके प्रभाग में निर्वाचित किए जानेवाले पार्षदों की संख्या के रूप में मतों की समान संख्या में मतदान करने का हकदार होगा :"। सन् २०२१ महा. ....।

सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक ४ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

३. (१) महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२१ महा. अध्यादेश क्रमांक ४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यो तथा कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, १९६५ (सन् १९४९ का ५९) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, नगर निगम में प्रत्येक प्रभाग केवल एक पार्षद का निर्वाचन करता है। कोविड-१९ महामारी के प्रादुर्भाव के कारण, राज्य में नगर निगमों के क्षेत्रों के भीतर जब स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटान करते समय निगम में बहु सदस्य प्रभाग प्रणाली का होना आवश्यक महसूस हुआ हैं। ऐसी स्थिति का पुनरीक्षण करने के पश्चात् और नगर निगमों के सुचारू कार्य की सुनिश्चिति करने की दृष्टि से, राज्य सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

२. यह उपबंध करना प्रस्तावित किया गया है कि, नगर निगमों का प्रत्येक प्रभाग, चार पार्षदों का परंतु तीन पार्षदों से कम न हो, तथा पाँच पार्षदों से अधिक न हो, होगा, यथासंभव शीघ्र पार्षद निर्वाचित करेगा। उस प्रयोजन के लिए, उक्त अधिनियम की धारा ५ में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित किया गया था।

३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हे इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक ४) ३० सितम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित ३ नवम्बर २०२१।

एकनाथ शिंदे,
नगर विकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १ दिसंबर, २०२१

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई